[ 23/2/2021]

प्रश्न सं. [ क्र. 490 ]


# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
**National Highways Authority of India**
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
प.क्रि. ई. – 582/ए, डेनिंग रोड, साऊथ सिविल लाईन्स, जबलपुर (म.प्र.)–482001
PIU OFFICE –582/A, Denning Road, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.) – 482001

परिशिष्ट-1

BHARATMALA

Tele Fax : 0761-4047042
E-mail : jabalpur@nhai.org
nhaijabalpur@gmail.com


भाराराप्रा / पक्रिई / जबलपुर / विधानसभा / 2021 / 16377     दिनांक 03.02.2020

प्रति,
**श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी–म.प्र.**
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
क्षेत्रीय कार्यालय, ई–2 / 167 अरेरा कालोनी, हबीबगंज स्टेषन के पास,
भोपाल (म.प्र.)– 462016

**विषय : बरगी बायपास के रखरखाव के संबंध में।** (विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 490 द्वारा, माननीय श्री संजय यादव जी)।

श्रीमान्,

उपरोक्त विषयांतर्गत **विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 490 द्वारा, माननीय श्री** संजय यादव जी, द्वारा, पूछे गये प्रश्न के संबंध में, जो जानकारी चाही गई है, वह निम्नानुसार है :–

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| (क) | क्या बरगी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बरगी बायपास के रख–रखाव हेतु रूपये 165.33 लाख की स्वीकृति, प्रदान करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने पत्र 14876 दिनांक 20.05.2020 द्वारा मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के आधिपत्य लेने हेतु लेख किया गया है। | हाँ,<br><br>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र क्रं. 14876 दिनांक 20.05.2020, के माध्यम से, मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. से NH-7 में निर्मित बायपासों के निर्माण हो जाने के फलस्वरूप आंतरिक मार्गो का अधिपत्य लेने हेतु, लेख किया गया था।<br><br>सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की गाईडलाईन अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गो पर बायपास निर्माण उपरांत, शहरी / बस्ती खण्ड में छोड़े गये, आंतरिक मार्ग राज्य सरकार को हस्तातंरित किये जाते हैं, एवं One Time Improvement Scheme के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा इन भागों का मजबूतीकरण कर अथवा, राज्य सरकार को मजबूतीकरण हेतु राशि उपलब्ध कराकर, हस्तांतरण किया जाता हैं।<br><br>भाराराप्रा, नई दिल्ली के द्वारा, One Time Improvement Scheme के अंतर्गत, बरगी के आंतरिक मार्ग के मजबूतीकरण हेतु 165.33 लाख रू. स्वीकृत कर, राज्य सरकार को हस्तांतरण उपरांत, उक्त राशि उपलब्ध कराने के आदेश, दिये गये है। जिसके फलस्वरुप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र 14876 दिनांक 20.05.2020 के माध्यम से, मुख्य अभियंता, लो.नि.वि., जबलपुर को आंतरिक मार्गो का अधिपत्य लेने हेतु अनुरोध किया गया हैं। |

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| (ख) | क्या उक्त राशि का विभाग द्वारा आधिपत्य ले किया गया है? यदि हां तो बरगी बरगी बायपास की बरगी के अंदर वाली सड़क बनाये जाने हेतु एवं उनके रख–रखाव हेतु विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है? उक्त राशि में से कितनी राशि रख–रखाव कार्य पर व्यय की गई एवं कितनी राशि शेष है? | नहीं,<br><br>आज दिनांक तक, उक्त मार्गो का अधिपत्य, लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं लिया गया हैं ।<br><br>उक्त संबंध में लेख हैं कि, भाराराप्रा द्वारा, अनेकों बार अपने पत्र क्रमांक 14944 दिनांक 12.06.2020, 4892 दिनांक 24.07.2020 एवं 15131 दिनांक 11.08.2020 के माध्यम से, उक्त मार्गो के अधिपत्य लेने हेतु निवेदन किया गया।<br><br>परन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा, स्वीकृत प्राक्कलनों में दिये, प्रावधानित राशि में कार्य कराने में असमर्थता व्यक्त करते हुये, लेख किया गया कि, 50mm DBM एवं 30mm BC, से कम प्रावधानों में कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हैं।<br><br>चूँकि बायपास मार्गों के निर्माण उपरांत, उक्त आंतरिक मार्गो पर, भारी वाहनों का आवागमन लगभग न के बराबर हो गया हैं, इसलिए उक्त प्रेषित प्राक्कलनों में, 50mm DBM एवं 30mm BC के प्रावधान सम्पूर्ण मार्ग पर कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।<br><br>लोक निर्माण विभाग द्वारा, अधिपत्य न लेने के कारण, भाराराप्रा, द्वारा, सड़क उपयोगकर्ता को हो रही परेशानियों ओर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से, उक्त One Time Improvement Scheme के कार्यो को संपादित करने हेतु, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा, निविदा आंमत्रित की गई, जिसकी कार्यवाही, क्षेत्रीय कार्यालय, भाराराप्रा, भोपाल में प्रकियाधीन हैं एवं संभवतः आगामी 15 दिवसों में, उक्त मार्गो के रखरखाव हेतु, एजेंसी नियुक्त की जाकर, उक्त मार्गो का रखरखाव भी सुनिश्चित किया जावेगा। |
| (ग) | यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर नहीं है, तो आधिपत्य नहीं लेने के क्या कारण है, एवं इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? | मुख्य अभियंता, लो.नि.वि., जबलपुर द्वारा, अपने पत्र क्रं. 6340 दिनांक 14.08.2020 के द्वारा, बस्ती/शहरी खण्ड के बायपास निर्माण हो जाने के फलस्वरूप, छूटे हुये आंतरिक मार्गो के रखरखाव हेतु स्वीकृत प्राक्कलनों में दिये प्रावधान राशि में, कार्य कराने में असमर्थता व्यक्त करते हुये, लेख किया गया कि, 50mm DBM एवं 30mm BC से कम प्रावधान में कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हैं।<br><br>शेष जबाव मध्यप्रदेश शासन, लो.नि.वि. द्वारा दिया जाना उचित होगा। |

# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

**National Highways Authority of India**

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

प.क्रि. ई. – 582/ए, डेनिंग रोड, साऊथ सिविल लाईन्स, जबलपुर (म.प्र.)–482001

PIU OFFICE –582/A, Denning Road, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.) – 482001

BHARATMALA ROAD TO PROSPERITY

Tele Fax : 0761-4047042
E-mail : jabalpur@nhai.org
nhaijabalpur@gmail.com


| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| (घ) | क्या उक्त संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा विभागीय प्रमुख सचिव को अपने पत्र क्रमांक 687/वि.बरगी/2020, दिनांक 18.09.2020 से भी आधिपत्य लेने हेतु लेख किया गया था? यदि हां तो आज दिनांक तक पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? | उक्त जबाव मध्यप्रदेश शासन, लो.नि.वि. द्वारा दिया जाना उचित होगा। |

सधन्यवाद।

सुमेश 3/2/21

सुमेश बांझल
परियोजना निदेशक
भा.रा.रा.प्रा. प.क्रि.ई – जबलपुर (म.प्र.)

प्रतिलिपि

1. श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी, महोदय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, (MoRTH) भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान् मुख्य अभियंता महोदय, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिक्षेत्र, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. श्रीमान् मुख्य अभियंता महोदय, म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।